**Housing Finance Fund for EPF Subscribers**

3695. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 179 given in the Rajya Sabha on the 7th March, 1994 and state:

(a) how much amount is available with the Housing Finance Fund for EPF subscribers;

(b) what are the salient features of the scheme;

(c) whether this is to be a part of the present set up of EPF organisation or not;

(d) if so, whether Government propose to set up a separate subsidiary organisation;

(e) if not, what are the reasons therefor; and

(f) by when the whole scheme is likely to be implemented throughout the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (f) The Central Board of Trustees, EPF discussed the report of the Housing Finance Fund Committee on 31-3-94. The recommendations of the Board have not yet been submitted to the Government.

**Proposal to amend the Trade Union Act**

3696. SHRI SOM PAL : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have approved a proposal to amend t he Trade Union Act;

(b) if so, what are the reasons that have necessitated such amendment; and

(c) what are the salient features of the proposed Bill and by when it is likely to be introduced ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Based on the recommendations made by a Bi-partite Committee on New Industrial Relations Law and the deliberations held in various Tripartite forums, specific proposals to amend the Trade Unions Act, 1926 have been formulated. The proposals inter-alia seek to reduce the multiplicity of Trade Unions and to facilitate orderly growth and regulation of all Trade Unions. A Notice to introduce a Bill to this effect in the current Session of Parliament has been given.

**सौराष्ट्र में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति**

3697. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग, विधवा, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि व्यक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पंजीकृत व्यक्तियों में से कितने-कितने व्यक्तियों को सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है ;

(घ) क्या इन रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई अलग व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**दिल्ली के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लम्बित मामले**

3698. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** :क्या श्रम मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2431 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विवादों का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त विवादों में से कौन-कौन से विवाद पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तीन औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से दो न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं, और अकेले तीसरे पीठासीन अधिकारी तीनों औद्योगिक न्यायाधिकरणों के काम-काज को निपटा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन विवादों का भविष्य क्या होगा जिनमें बहस का काम पूरा हो चुका है और पीठासीन अधिकारी फैसले की घोषणा किये बिना ही सेवा निवृत्त हो गये हैं ; और

(घ) ऐसे विवादों के संबंध में कब तक फैसला कर दिये जाने की संभावना है और ऐसे विवादों के संबंध में सरकार की क्या नीति होगी ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार 16-12-1993 की स्थिति के अनुसार लंबित उन शेष तीन औद्योगिक विवादों के बारे में भी पंचाट घोषित किये जा चुके हैं और कार्यान्वयन के लिये भेज दिये गये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दोनों औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के समय कोई औद्योगिक विवाद ऐसा नहीं था जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश के लिये लंबित हो ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Complaints received by the Protector General of Emigration**

3699. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 48 given in the Rajya Sabha on 6th December, 1993 and state :

(a) the details of cases where Government have initiated action giving the nature of the complaint the date of receipt of complaint, the date on which the action was taken and also the type of action taken; and

(b) whether any interim replies are being sent to complaints, stating the stage in which their complaints are being processed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Child Labour in Coca Cola**

3700. SHRI K.R. MALKANI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as reported by the 'Pioneer' dated the 22nd February, 1994, Coca Cola is using child labour; and